

न्यायालय अपर सिविल जज सी.डि. द्वितीय/ए.सी.जे.एम. अयोध्या।

सम्बंधित प्रकीर्ण वाद सं० 28/2022

धारा- 156(3) दं.प्र.सं.

जिलाजीत वर्मा बनाम रामफूल।

थाना-को० नगर, जनपद अयोध्या।

दिनांक- 09.08.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली पर थाने की आख्या उपलब्ध है, किन्तु प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं० प्र० सं० पर बल देने हेतु पिछले कई तिथियों से कोई उपस्थित नहीं है। अतः प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं० प्र० सं० बलहीन मानकर निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/आवेदक **जिलाजीत वर्मा** का प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं० प्र० सं० बलअभाव में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज सी.डि. द्वितीय/

ए.सी.जे.एम, अयोध्या।

जे.ओ.कोड यूपी-2328